प्रार्थी या उसके वकील उप.नहीं। वकील अप्रार्थी उप0। वकील अप्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। एड. प्रार्थी का कहना है कि मुन्त. प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में प्रार्थी ने कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया, जिससे पुष्टि होती हो । चूंकि आज प्रार्थी या उसके वकील बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये है। इसलिए प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official